संख्या–882/44–1–2010–93/2010

प्रेषक,

हरिराज किशोर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त सार्वजनिक उपकमों/निगमों के प्रशासनिक
विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 10 जनवरी, 2011

विषयः– वेतन समिति (2008) के सातवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सार्वजनिक उपकमों/निगमों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति।

महोदय,

वेतन समिति–2008 के सातवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सार्वजनिक उपकमों/ निगमों के कार्मिको को दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति शासनादेश संख्या–1105/44–1–2009–77/2009, दिनांक 16 अक्टूबर,2009 द्वारा दी गयी थी । इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या–22 पीआरसी/44–1/99–16 उवेरि/97, दिनांक 18 जनवरी,1999 के साथ संलग्न वेतनमानों की सूची में दिनांक 01 जनवरी,1996 से वेतनमान रु0 1175–1625 पुनरीक्षित नहीं हो पाया है । अतः उक्त के दृष्टिगत वेतनमान रु01175–1625, जो राजकीय विभागों के लिये लागू वेतनमानों की श्रृंखला में रु0 975–1660/रु0 3200–4900 के समीपस्थ वेतनमान हैं,के अनुरुप सम्यक विचारोपरान्त वेतनमान रु0 3125–4830 के लिये दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड –1 रु0 5200–20,200 एंव ग्रेड वेतन रु0 2000 अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. कृपया तद्नुसार उपरोक्त वेतनमान के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन स्वीकृत करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

3. उपर्युक्त शासनादेश संख्या–1105/44–1–2009–77/2009,दिनांक16 अक्टूबर, 2009 के अनुलग्नक –1 में वेतनमानों की तालिका में उपर्युक्त पुनरीक्षित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन को जोड़ दिया गया समझा जायेगा । इस सीमा तक शासनादेश, दिनांक 16 अक्टूबर,2009 को संशोधित समझा जायेगा तथा शेष शर्ते यथावत लागू रहेंगी ।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–वे0आ0–2–1029/दस–2010 दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(हरिराज किशोर)
प्रमुख सचिव ।

संख्या–882/44–1–2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग–1 तथा 2 (तीन–तीन प्रतियों में)।
2. गोपन अनुभाग–1
3. सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–2/आडिट प्रकोष्ठ/प्रबन्ध पत्रिका के प्रकाशनार्थ।
4. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं विशेष कार्याधिकारी, सूचना, मुख्यमंत्री, उ0प्र0, लखनऊ।
6. महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ को 10 प्रतियों में।
7. वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग–2

आज्ञा से,

(सी0पी0 सिंह)
उप सचिव।